कैम्प कार्यालय जिलाधिकारी फर्रूखाबाद।

संख्या 5691 /आ0ले0–जि0अ0–2014 दिनांक 09 जून 2014

1–पुलिस अधीक्षक
फतेहगढ़।
2–अपर जिला मजिस्ट्रेट
फर्रूखाबाद।
3–प्रभारी पुलिस रेडियो
पुलिस लाइन फतेहगढ़।

मा0 मुख्य मंत्री जी उ0प्र0 के नीतिगत निर्णयों को संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है, जिनका अनुपालन तत्काल प्रभाव से किया जाना है। जिससे शासन की नीति सभी को स्पष्ट हो सके।

निर्देशित किया जाता है कि सभी अपने–अपने स्तर पर किसी भी अपराध की जानकारी होते सक्रिय रहेंगे और जघन्य अपराध की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल पुलिस अधीक्षक के साथ ही अधोहस्ताक्षरी को किसी भी समय सूचित किया जायेगा। यदि सी0यू0जी0 पर नेटवर्क न होने के कारण सम्पर्क नहीं हो पाता है तो लेण्ड लाइन पर अथवा सन्देश वाहक भेजकर व्यक्तिगत रूप से सूचना दी जायेगी। जिससे मैं व पुलिस अधीक्षक स्थल पर पहुंच सकें और मीडिया को भी वास्तविक घटना से अवगत कराया जा सके।

यदि क्षेत्रीय कर्मचारियों यथा चौकीदार , पुलिस कान्सटेबिल, लेखपाल आदि को किसी तरह की सूचना मिलती है तो वह सबसे पहले अपने क्षेत्र में सूचना के श्रोत पर पहुंचेगे और उच्चाधिकारियों को सूचना देंगे तथा घटना स्थल पर उपस्थित रहकर घटना के साक्ष्यों को यथावत् बनाये रखेंगे और किसी तरह की अफवाह फैलने को रोकेंगे।

अतः सभी सम्बन्धित को इसकी जानकारी .प्रसारित कर दी जाये तथा अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराया जाये।

संलग्नक–यथोपरि।

(एन0के0एस0 चौहान)
जिलाधिकारी
फर्रूखाबाद।

प्रतिलिपिः–

1– आयुक्त महोदय कानपुर मण्डल कानपुर की सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित।
2– उप महानिरीक्षक, पुलिस परिक्षेत्र कानपुर को सूचनार्थ।

(एन0के0एस0 चौहान)
जिलाधिकारी
फर्रूखाबाद।

प्रदेश में कानून–व्यवस्था सुदृढ़ करने की दिशा में शासन के नीतिगत निर्णय

मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव गृह, पुलिस महानिदेशक एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में प्रदेश की कानून–व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की दिशा में निम्न नीतिगत निर्णय लिए गये:–

1. अवैध खनन पर पूर्णतया रोक। जनपदों में अवैध खनन के लिए जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सीधे जिम्मेदार। अवैध खनन करने वाले माफियाओं के विरुद्ध सख्त कार्यवाही।
2. गौकशी पर पूर्ण प्रतिबन्ध सुनिश्चित करने के लिए औचक छापे।
3. जिलों में अपराधियों के विरुद्ध अवैध गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई। इस दिशा में जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा पूरे प्रदेश में एक साथ छापे एवं अभियान।
4. प्रदेश में अनुमन्यता प्राप्त महानुभावों, मा. सांसद, मा. विधायक, मा. पूर्व सांसद एवं विधायक तथा मा. न्यायालय के निर्णय से सुरक्षा प्राप्त महानुभावों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों के गनर की सुविधा तत्काल प्रभाव से वापस।
5. जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक विशेष महत्वपूर्ण घटनाओं पर स्वयं जाएंगे, घटना की प्रारम्भिक जानकारी लेकर स्थानीय जनता एवं मीडिया को तत्काल अवगत करायेंगे।
6. सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त अभियान।
7. भू–माफिया, अवैध शराब बिक्री एवं संगठित अपराध करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर सख्त कार्यवाही की जायेगी।
8. जघन्य अपराधियों एवं लोक शान्ति भंग करने वाले अवांछनीय तत्वों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, गैंगस्टर ऐक्ट, गुण्डा ऐक्ट आदि के अन्तर्गत प्रभावी कार्रवाई।

9. छोटी–छोटी घटनाओं का चिन्हीकरण करके जिम्मेदार अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई।
10. वाहनों पर काली फिल्म एवं हूटर के खिलाफ तत्काल अभियान। जनता एवं मीडिया से जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों का सीधा संवाद।
11. जन सामान्य के लिए सभी अधिकारी अपने मोबाइल पर उपलब्ध रहेंगे।
12. महिलाओं के विरुद्ध कोई भी अपराध को बर्दाश्त नहीं। ऐसी किसी भी गम्भीर घटना पर जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक स्वयं जाएंगे एवं घटना का संज्ञान लेकर सख्त कार्रवाई करेंगे।
13. पुलिस आधुनिकीकरण के लिए तत्काल समुचित संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। प्रथम चरण में रू. 100 करोड़ उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
14. उपनिरीक्षकों की भर्ती के लिए तत्काल कार्यवाही की जाएगी।
15. आउट आफ टर्न प्रोन्नति की प्रक्रिया समाप्त होगी।
16. बदायूं में घटित शर्मनाक घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस महानिदेशक, उ.प्र. के स्वयं दौरे के उपरान्त जो तथ्य उभरकर आये हैं, यदि वे तथ्य पहले ही दिन स्थानीय प्रशासन स्वयं जानकारी करके मीडिया एवं सम्बन्धित पक्षों को दे देता तो इस दुःखद घटना पर कार्रवाई तत्काल हो जाती। इस लापरवाही के लिए तात्कालिक प्रभाव से जिलाधिकारी, बदायू श्री शम्भूनाथ एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अतुल सक्सेना को शासन द्वारा निलम्बित कर दिया गया है, जिससे भविष्य में अन्य जिलाधिकारी एवं पुलिस अधिकारियों को कड़ा सबक मिल सके।
17. सड़कों पर की जा रही अवैध वसूली की रोकथाम ।
18. शराब और मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम ।
19. जिले के चौकीदारों को मजबूत करना और उनके द्वारा दी गयी सूचना को थाने में रिकार्ड रखना ।

नोट– उपरोक्त के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के संयुक्त हस्ताक्षर से आज सायं 04.00 बजे तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।